(94)

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला ग्वालियर ॥म0प्र0॥

प्रकरण क्रमांक---R-3052-II/ सन् 2012 वमुकद्दमें,

दसई, सियाराम तनय तिजुआ कुशवाहा
निवासी ग्राम देवेन्द्रपुरा तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़।म0प्र0।

----निगरानीकर्ता

बनाम

शरद कुमार गुप्ता तनय श्री ब्रजबिहारी गुप्ता
निवासी निवाड़ी तहसील निवाड़ी
जिला टीकमगढ़।म0प्र0।

---- उत्तरवादी

श्री ... द्वारा आज दि. 11-9-12 को प्रस्तुत
11-9-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

"विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाड़ी द्वारा प्रकरण क्रमांक- 74/अ-12/2011-12 में दिनांक 26-6-012 को पारित किया गया "।

महोदय जी,

निगराकार निम्न विनय प्रस्तुत करते है:---

॥1॥- यह कि विद्वान राजस्व निरीक्षक मण्डल निवाड़ी तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ ।म0प्र0। द्वारा प्रकरण क्रमांक-74/अ-12/011-12 में दिनांक- 26-6-2012 को जो आदेश पारित किया गया है, वह विधि विधान एवं वाक्यात के प्रतिकूल है तथा प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य हैं ।

॥2॥- यह कि उत्तरवादी शरद गुप्ता तनय ब्रजबिहारी गुप्ता द्वारा ग्राम देवेन्द्रपुरा की भूमि खसरा नम्बर 300/2,301/1 रकबा क्रमशः0-020, 0-042 है0 के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक निवाड़ी के यहां दिनांक - 30-12-2011 को आवेदन पत्र दिया ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3042-दो/2012 जिला टीकमगढ़ दसइ, सियाराम **विरूद्ध** शरद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.खरे उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल तहसील निवाडी के प्रकरण क्रमांक 74/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 31.12.18 सदस्य	